न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/74/2021

डम्बर सिंह पुत्र गिर्राज सिंह ग्राम पोस्ट चैकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार, तहसील रूपवास

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 06.10.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि डम्बर सिंह पुत्र गिर्राज सिंह गांव पोस्ट चैकोरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2021 को तहसीलदार रूपवास से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/600 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा तहसीलदार रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार रूपवास से पत्र कमांक/467 दिनांक 01.10.2021 के द्वारा जवाव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं तहसीलदार रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार रूपवास से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार रूपवास से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 467 दिनांक 01.10.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रूपवास ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को भी पत्र कमांक रीडर/21/444 दिनांक 17.09.2021 एवं पत्र कमांक राजस्व /21/561 दिनांक 20.09.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार रूपवास से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर